न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/299

1. जगन्नाथ आत्मज नाथूलाल जी जाटव निवासी उम्मेदपुरा नायब तहसील सुल्तानपुर जिला कोटा ।
2. राम निवास आत्मज केसरी लाल जी ।
3. बाबूलाल आत्मज केसरी लाल जी ।
4. चन्द्र प्रकाश आत्मज केसरी लाल जी ।
5. हेमराज आत्मज केसरी लाल जी ।
6. रामस्वरूप आत्मज केसरी लाल जी जाति तेली निवासीगण उम्मेदपुरा नायब तहसील सुल्तानपुर जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

बनवारी लाल आत्मज पन्ना लाल जाति धाकड निवासी किशनगंज नायब तहसील सुल्तानपुर जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. ओमप्रकाश आत्मज बनवारी लाल ।
2. कन्हैयालाल आत्मज बनवारी लाल ।
3. हरिमोहन आत्मज बनवारी लाल ।
4. दिनेश कुमार आत्मज बनवारी लाल ।
5. ललित आत्मज बनवारी लाल ।
6. अभिषेक आत्मज बनवारी लाल ।
7. शांति बाई बेवा बनवारी लाल जाति धाकड निवासीगण किशनगंज नायब तहसील सुल्तानपुर जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामकल्याण शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री भगवली बल्लभ शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 25.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 91 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम उम्मेदपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी पुराना खसरा नम्बर 171 की रकबा 30 बीघा 02 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि प्रतिवादी कम 1 के स्व0 पिता श्री पन्नालाल जी

के खाते व कब्जे काश्त की भूमि थी । उक्त भूमि प्रतिवादी कम 1 के स्व0 पिता पन्ना लाल जी ने वादी कम 1 के पिता व स्व0 श्री नाथूलाल जी को एवं वादी कम 2 से 6 के पिता स्व0 श्री केसरी लाल जी को 200/– रूपये प्रति बीघा की दर से बेचान की थी । उक्त भूमि वादी कम 1 के पिता व वादी कम 2 से 6 के पिता द्वारा बराबर–बराबर रकम अदा कर कय की गई थी । प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध प्रतिवादी कम 2 द्वारा जो सीलिंग कार्यवाही चला रखी थी उसका अंतिम रूप से निस्तारण राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 21.02.2014 को कर दिया गया है तथा निर्णय अनुसार प्रतिवादी कम 1 की कोई भूमि सीलिंग प्रभावित नहीं मानी गई है ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी पर चली सीलिंग कार्यवाही से मुक्त किया जाकर उक्त भूमि वादी के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे ।

4. तत्पश्चात् प्रतिवादी कम 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 (डी) सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद मूल रूप से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी की घोषणा का है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की मृतीय अनुसूचती में खातेदारी की घोषणा का अनुतोष कब्जा मुखालफाना के आधार पर कानूनन वाधित है इसी आधार पर वाद मेन्टेनेबल नहीं है । इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल का न्याय निर्णय 2011 आरवीजे 387 पूर्ण पीठ का है जो सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाईडिंग है । अतः उक्त अंकित तथ्यों के आधार पर वाद कानूनन वाधित होने से खारिज फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.07.2015 के द्वारा प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.07.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कब्जा मुखालफाना के आधार पर वाद काननून बाधित हो । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा मुखालफाना के अलावा दावे को अनरजिस्टर्ड डीड के आधार पर स्वत्व होना न माकर भी दावे को खारिज किया है जबकि अनरजिस्टर्ड डीड के आधार पर दावा चलने योग्य नहीं है इस तरह की आपत्ति रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा नहीं ली गई थी । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बहार जाकर निर्णय पारित किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय

है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.07.2015 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आरआरटी 2011 (2) पेज 1395 , आरआरडी 2017 पेज 273 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है क्योंकि वादीगण अपीलान्ट का वाद मूल रूप से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी की घोषणा का है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की मृतीय अनुसूचती में खातेदारी की घोषणा का अनुतोष कब्जा मुखालफाना के आधार पर कानूनन वाधित है इसी आधार पर वाद मेन्टेनेबल नहीं है । इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल का न्याय निर्णय 2011 आरवीजे 387 पूर्ण पीठ का है जो सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाईडिंग है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी का स्वीकार करते हुए वादीगण अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

11. हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को नजीर आर.आर.डी. 2011 पेज 603 की रोशनी में उचित एवं विधि सम्मत नहीं मानते हैं । उक्त नजीर में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि वादकरण हेतु केवल एवं केवल वादपत्र एवं उसके संलग्न दस्तावेजों पर ही विचार किया जाना चाहिए । आर.आर.डी. 2011 पेज 603 का हैड नोट इस प्रकार से है :– "Code of Civil procedure, Order 07 Rule 11 – Scope of Application filed by the petitioner-defendants under Order 7, Rule 11 CPC was finally rejected by the Board upholding the decision of R.A.A. – Held, at the stage when application under Order 7, Rule 11 was filed by petitioner-defendant it has to be examined by the trial court whether the court has jurisdiction to examine the case based on facts mentioned in the plaint itself-Nofurther supporting material is required to be looked into....." अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों पर विचार कर निर्णय करने में त्रुटि की है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जिन तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया था वह अनिर्णित ही हैं और केवल प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद के तथ्यों का निर्णय विधि सम्मत नहीं हो सकता । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने धारा 88, 89, 91 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जो पक्षकारों की साक्ष्य के बिना निर्णय पारित नहीं किया जा सकता ।

13. प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य जो विवाद है उस पर पक्षकारान की साक्ष्य एवं दस्तावेज लिये बिना किसी प्रकार के निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सकता क्योंकि वादीगण ने वादग्रस्त

आराजी के सम्बन्ध में धारा 88, 89, 91 एंव 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया है । जिसमें स्वतव अधिकारों का निर्धारण भी होना है जिनका निर्धारण गुणावगुण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में ही हो सकता है । अपीलीय न्यायालय को इस सम्बन्ध में इस स्तर पर ज्यादा विवेचन किया जाना उचित नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण एवं विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 02.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर पक्षकारान को सुनवाई, जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 30.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 25.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा